"मजबूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी"

जिला निर्वाचन कार्यालय ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।

संख्या: ई.एल.एन.-ऊना-5-2/2023- 1752 दिनांक: 02/11/2023

प्रैस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण-2024 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ऊना के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर दिनांक 04-11-2023(शनिवार) व 05-11-2023(रविवार) को प्रातः 10.00 बजे से सॉय 5.00 बजे तक सभी छूटे हुये व पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में दर्ज करवाने हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने से किसी कारणवश छूट गए थे अथवा जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम सम्बन्धित मतदान केंद्र में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। इस दौरान कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करने के साथ मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मतदाता सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु समुचित प्ररूप (फार्म-6, 7 व 8) भरकर दावे/आक्षेप सम्बंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में पढ़ पाने में असमर्थ हैं, उनके नाम संबंधित बूथ लेवल अधिकारी द्वारा सबके समक्ष पढ़कर सुनाये जाएंगे।

इस अभियान के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा मतदान केन्द्रवार नियुक्त बूथ लेवल एजेंट सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी के साथ बैठक करके छुटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाने व अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने सम्बन्धी सुझाव व आवेदन निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दे सकते हैं ताकि मतदाता सूची को आगामी लोकसभा निर्वाचनों के लिए त्रुटी रहित व अद्यतन बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त सभी मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र होना ही किसी व्यक्ति को मताधिकार की गारंटी नहीं देता बल्कि नागरिक का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होना भी अनिवार्य है। अतः सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे उक्त तिथियों को अपने-2 मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची(वोटर लिस्ट) में अपने नाम की जांच कर लें। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो तो निर्धारित फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा ले ताकि आगामी लोकसभा चुनावों में वह अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रह सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त)
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।

पृष्ठांकन सं. ई.एल.एन.-ऊना 5-2/2023- 1752 दिनांक: 02 /11/2023

प्रतिलिपि प्रेषित है:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि.प्र., शिमला-09 को सूचनार्थ।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.)/ (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) जिला ऊना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी बूथ लेवल अधिकारियों को दिनांक 04 व 05-11-2023 को अपने मतदान केंद्र में फोटोयुक्त मतदाता सूची व फार्म-6, 6क, 7 व 8 सहित मतदाताओं की सुविधा हेतु उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
3. समस्त प्रधान, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, जिला ऊना के सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि वे जिला ऊना के सभी मतदान केन्द्रों में नियुक्त अपने राजनैतिक दल के बूथ लेवल एजेंटों को दिनांक 04 व 05-11-2023 को अपने-2 मतदान केंद्र में मतदाताओं की सुविधा हेतु उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करें।
4. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, ऊना को अतिरिक्त प्रतियों सहित समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन हेतु।
5. समस्त बूथ लेवल अधिकारी जिला ऊना को सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उपनिदेशक उच्च/माध्यमिक शिक्षा/समस्त खंड विकास अधिकारी/जिला पंचायत अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद ऊना,संतोषगढ़/सचिव, नगर पंचायत दौलतपुर/टाहलीवाल/अम्ब के सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यालयों में स्थापित मतदान केन्द्रों को दिनांक 04 व 05-11-2023 को खुला रखने बारे कार्यालय प्रभारी को निर्देशित करें।
7. सूचना पटट, जिला निर्वाचन कार्यालय /उपायुक्त कार्यालय ऊना।

3633
03/11/23

Endst No. EDN-U(Ele-II) Election/2023 4448
O/o DDEE UNA 03/11/23
Forwarded in original to All Principal Headmaster/Incharges of GSSS/GHS/GMS, All BEEO's for information and n/a

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त)
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।

Deputy Director of Elementary
Education Una, Distt. Una (H.P.)